कार्यालय प्रधानाचार्य, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर

email-id: principalasmcsiddharthnagar@gmail.com

पत्रांक :– मे0का0सि0 / 2023 / 4827-33 दिनांक : 05 / 07 / 2023

–:विज्ञप्तिः–

उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ के शासनादेश संख्या–4661 / 71–1–08–जी–63 / 2008, दिनांक 15.012.2008 पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः एम0ई0–2 / 2015 / 1916 दिनांक 21.09.2015 एवं समय–समय पर पारित अन्य संविदा शासनादेशों के क्रम में निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ के माध्यम से प्रकाशित किये जाने के क्रम में इस चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्यो, सह–आचार्यो तथा सहायक आचार्यो के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार (वॉक–इन–इन्टरव्यू) माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर के प्राचार्य कार्यालय में प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः 10:00 बजें से अपराह्न 02:00 बजे के मध्य सम्पन्न किये जायेगें।

S No.	Name of Specialization	Professor		Associate Professor		Assistant Professor	
		No. Of posts	Category	No. Of posts	Category	No. Of posts	Category
1	Orthopedics	1	OBC	-	-	-	-
2	Community Medicine	1	UR	- 1	- SC	-	-
	R.H.T.C.(Medical Officer-Health cum Lecturer/Assistant Professor)	-	-	-	-	1	OBC
	U.H.T.C.(Medical Officer-Health cum Lecturer/Assistant Professor)	-	-	-	-	1	EWS
	Statisician cum Assistant Professor	-	-	-	-	1	SC
3	Tuberoculsis and Resporatory/ Pulmonory Medicine	-	-	-	-	1	OBC
4	Dermatology, Venerology and Leprosy	-	-	-	-	1	UR
5	Paediatrics	1	OBC	-	-	1	SC
6	Pathology	1	EWS	1	OBC	-	-
7	Pharmacology	1	SC	-	-	1 1	OBC UR
8	Forensic Medicine	1	UR	1	UR	-	-
9	Microbiology	1	OBC	-	-	-	-

Backlog Seats:

S No.	Name of Specialization	Professor		Associate Professor		Assistant Professor	
		No. Of posts	Category	No. Of posts	Category	No. Of posts	Category
1.	Obstretics & Gyanecology	1	SC	1	UR	-	-
2.	Emergency Medicine	-	-	1	OBC	-	-
3.	Anatomy	-	-	-	-	1	SC
4.	Anesthesiology	-	-	1 1	SC UR	1 -	OBC

प्रधानाचार्य
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय
सिद्धार्थनगर

5.	Oto-Rhino-Larryingology	-	-	-	-	01	OBC
6.	Community Medicine	-	-	-	-	1	EWS
7.	General medicine	1	OBC	1	OBC	1	SC
				1	UR		
8.	General Surgery	1	UR	1	OBC	-	-
				1	EWS		
9.	Tuberoculsis and Resporatory/ Pulmonory Medicine	-	-	1	SC	-	-
10.	Dermatology, Venerology and Leprosy	-	-	1	UR	-	-
11.	Pediatrics	-	-	1	OBC	-	-
12.	Pathology	-	-	1	UR	-	-
13.	Pharmacology	-	-	1	SC	-	-
14.	Physiology	1	SC	-	-	1	OBC
15.	Forensic Medicine	-	-	-	-	1	SC
16.	Biochemistry	-	-	1	OBC	1	OBC
17.	Microbiology	-	-	-	-	-	-
18.	Radiodiagnosis	-	-	1	OBC	-	-
19.	Pshyciatry	-	-	1	EWS	-	-

नोटः 1. कृपया विस्तृत विज्ञप्ति महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट पर देखें।
2. उपरोक्त विज्ञप्ति में प्रकाशित पदो की संख्या घट अथवा बढ सकती है।

इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह National Medical commission, (Teachers Eligibility qualification in Medical Institutions Regulations, 2022) Dated 14-02-2022 के मानकों के अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं शैक्षणिक / जाति / अनुभव / शोध / आधार कार्ड / पैन कार्ड पत्रों की (स्व–प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न कर 01 सेट एवं 02 पासपोर्ट फोटों सहित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हों। इस यात्रा हेतु किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू हो जाने के कारण संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् है–

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश संख्याः 104 / 2019 / 5044(1)271–1–2019–जी–63 / 2008, दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियत वेतन (रु0 135000 / – आचार्यो, रु0 120000 / – सह–आचार्यो एवं रु0 90000 / – सहायक आचार्यो) प्रतिमाह देय होगा।
2. वेतन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चंयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
3. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राजय चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली 2022 में निहित के अनुसार होगी।
4. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा पर अधिकतम आयु सीमा सहायक आचार्य–60 वर्ष, सह–आचार्य–64 वर्ष एवं आचार्य–68 वर्ष वाले ही अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है।
5. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगें।
6. प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकस्मिक / आपदा सेवाओं के लिए ड्यूटी पर उपलब्ध रहना होगा।
8. संविदा पर नियुक्त / कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती / स्थानान्तरण कें माध्यम से नियमित चिकित्सा शिक्षक के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।

प्रधानाचार्य
...प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय
सिद्धार्थनगर

9. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा पुनः बढ़ाया जा सकता है।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
11. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
12. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तों उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
13. शासनादेश संख्या–367/71–1–2020–जी–195/2015 टी.सी. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी 2020 द्वारा आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के पदो के रिक्तियों पर आरक्षण के अनुरुप उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर अनारक्षित वर्गो के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

संकाय सदस्य प्रभारी
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय
सिद्धार्थनगर

प्रधानाचार्य
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय
सिद्धार्थनगर

पत्रांकः–मे0का0सि0/2023/4827-33 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ/कानपुर/आगरा/झांसी/प्रयागराज/गोरखपुर/आजमगढ/अम्बेडकरनगर/जालौन/कन्नौज/ सहारनपुर/बॉदा/बदॉयू।
5. प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,अयोध्या/बहराईच/बस्ती/फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर/ प्रतापगढ/एटा/मिर्जापुर/हरदोई/गाजीपुर/फतेहपुर/देवरिया/जौनपुर।
6. माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर की नोटिस बोर्ड हेतु।

संकाय सदस्य प्रभारी
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय
सिद्धार्थनगर

प्रधानाचार्य
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय
सिद्धार्थनगर